"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा यथा जारी छत्तीसगढ़ कार्य नियम के नियम 13 के अंतर्गत भाग-पांच अनुपूरक अनुदेश के अनुदेश क्रमांक 2क के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, भारसाधक मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5, 6, धारा 7 की उप-धारा (1), (3), (4), धारा 8 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 10 की उप-धारा (3), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 12, धारा 15 की उप-धारा (3) एवं धारा 19 के अधीन भूमि अर्जन से संबंधित मामलों को निराकृत करने के प्रयोजन के लिए जिलाधीशों को पदेन उप-सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं तथा एतद्द्वारा निर्देशित करता हूं कि पदेन उप-सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में जिलाधीशों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत निराकृत किये गये मामले, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निराकृत समझे जायेंगे.

हस्ता./-
(प्रेमप्रकाश पाण्डेय)
भारसाधक मंत्री.

Raipur, the 26th May 2014

ORDER

No. F. 4 -28 /Seven-1/2014. — In exercise of the powers delegated under instruction 2A of Part-V Supplementary Instructions under Rule 13 of the Rule of Business as issued by the Governor under Article 166 of the Constitution of India, I, Prem Prakash Pandey, Minister-in-charge, Revenue and Disaster Management Department, hereby authorize Collector to act as Ex-officio Deputy Secretary of Revenue and Disaster Management Department for the purpose of disposal of cases in respect of land acquisition under sub-section (1) of Section 4, Section 5, 6, sub-section (1), (3), (4) of Section 7, sub-section (1) and (2) of Section 8, sub-section (3) of Section 10, sub-section (1) of Section 11, Section 12, sub-section (3) of Section 15 and Section 19 of the Right to Fair Compensation and Trasparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), and hereby direct that now disposed off cases under above mentioned sections by the Collector as Ex-officio Deputy Secretary, Revenue and Disaster Management Department shall be deemed to be deemed by the disposal by the Government of Chhattisgrah.

Sd/-

(Prem Prakash Pandey)

Minister-in-charge.

संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2014.